न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –20/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/35

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सुरजी पुत्री रामाराम,जाति–माली निवासी–आलनियावास, तहसील–रियांबडी, जिला नागौर		1. तहसीलदार, डेगाना। 2. तहसीलदार, रियांबडी। 3. सोहनराम पुत्र पाबूराम 4. ओमाराम पुत्र पाबूराम जाति–माली,निवासीगण–आलनियावास, तहसील–रियांबडी, जिला नागौर 5. श्यामसुन्दर पुत्र प्रभुलाल 6. अजयपाल पुत्र प्रभुलाल 7. परमेश्वरी पत्नी रतनलाल 8. प्रकाश पुत्र रतनलाल 9. रामअवतार पुत्र रतनलाल 10. सत्यनारायण पुत्र रतनलाल 11. सीताराम पुत्र रतनलाल 12. भगवती पुत्री रतनलाल 13. संतोष पुत्री रतनलाल समस्तजाति–जांगीड,निवासीगण–आलनियावास तहसील–रियांबडी, जिला नागौर 14. धनुडी पत्नी रामाराम 15. देवाराम पुत्र रामाराम 16. सम्पत पुत्र रामाराम 17. राजु देवी पत्नी कैलाश 18. महेन्द्र पुत्र कैलाश 19. मनोहर पुत्र कैलाश 20. उम्मेदराम पुत्र कैलाश तीनो रेस्पोडेन्ट संख्या 18 ता 20 नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता राजुदेवी समस्त जाति माली निवासीगण आलनियावास तहसील रियांबडी जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से ओमप्रकाश पूनिया राजपैरोकार।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री विकास सोनी।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से ,10,12,13 की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 15,18,19,20 की ओर से श्री भरत ओझा।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

:: निर्णय ::

दिनांक : 29.08.2023

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके राजस्व ग्राम आलनियावास का म्यूटेशन संख्या 66 जो तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 13.06.1962 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 24.02.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा राजस्व ग्राम आलनियावास तत्कालीन तहसील डेगाना जिला नागौर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1264 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा की जमीन अपीलांट के दादा किस्तुरराम पुत्र शिम्भु, जाति माली निवासी आलनियावास की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरूद्ध तरीके से कानून के विपरीत नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 13.06.1962 को बिना किसी आदेश के स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में किस्तुरराम के नाम 9 बीघा 5 बिस्वा व पाबू पुत्र प्रताप (रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4) के नाम 8 बीघा व प्रभु पुत्र धोकल (रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 13) के नाम 5 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी घोषित कर नामान्तरकरण बिना अपीलांट के दादा को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत् तहसीलदार को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार समाप्त करने अथवा किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का न तो कोई हक व अधिकार था जबकि किसी भी सक्षम अधिकारी का न तो कोई आदेश पारित हुआ, बिना आदेश के ही नामान्तरकरण भरकर अपीलांट के दादा के नाम दर्ज खातेदारी से नाम हटा दिया। अपीलांट को इन तथ्यों की जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 04.01.2021 को हुई, जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपीलांट को एलानियां कहा कि उक्त खसरा नम्बर 1264 जो वर्तमान नये सेटलमेंट से खसरा नम्बर 1583 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसर नम्बर 1582 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा करेगें। तब अपीलांट ने पटवारी हल्का से नकले प्राप्त की तब अपीलांट को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी होने पर यह अपील पेश की हैं। इसलिए अपीलांट की अपील जानकारी से अन्दर मियाद लेकर अपीलांट की अपील दर्ज फरमाने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील को जानकारी से अन्दर मयाद लेकर अपील दर्ज फरमायी जाने व देरीना अवधि को माफ किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने अपनी बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट /प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने दौराने बहस धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत जबाब दिनांक 14.09.2022 में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण तहसीलदार,डेगाना द्वारा विधि अनुसार स्वीकृत किया हैं। अपीलांट का यह कहना गलत है कि अपीलांट को इस नामान्तरकरण की जानकारी नही थी,अभी जानकारी हाल ही में दिनांक 04.01.2021 को हुई ,जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपीलांट को ऐलानियां कहा कि उक्त खसरा नम्बर 1264 जो वर्तमान नये सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 1583,1587,1582 की भूमि पर कब्जा करेगे,

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट लगभग बासठ वर्षो से खसरा नम्बर 1587 की उक्त वर्णित अपनी आठ बीघा जमीन(1.30 है0) पर बतौर खातेदार,मालिकाना हक व कब्जे की भूमि पर कास्त करते आ रहे हैं। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की भूमि हथियाने के लिए मनगढ़न्त तथ्य अंकित कर झूठे कथनों व तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद लाना चाहती हैं। अपीलांट द्वारा म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 04.01.2021 को होने का अभिकथन किया है,जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी में दर्ज प्रकरण संख्या 49/2020 व 50/2020 बअनवान धनुड़ी बनाम सोहनराम व अन्य में अपीलांट पक्षकार थी तथा यह प्रकरण अपीलांट के भाईयों द्वारा ही पेश किये गये थे,इसलिए अपीलांट को इस नामान्तरकरण की जानकारी बिनाय दावा दिनांक 18.06.2020 को हो चुकी थी तथा अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 01.02.2021 को माननीय न्यायालय में पेश की हैं। अपीलांट को विलम्ब अविध माफ करवाने के लिए प्रत्येक दिन का बाजिब कारण न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। अपीलांट द्वारा यह कहने मात्र से की अपीलांट को नामान्तरकरण के तथ्यों की जानकारी दिनांक 04.01.2021 को हुई,तब अपीलांट ने पटवारी हल्का से नकले प्राप्त की एवं नकले प्राप्त होने पर यह अपील पेश कर दी जो मयाद अन्दर हैं नहीं माना जा सकता हैं। अपीलांट को न्यायालय के समक्ष विलम्ब के प्रति दिन के कारण बताने होगे। इसलिए अपीलांट द्वारा पेश किया गया यह प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया गया यह शपथ–पत्र झूठा व मिथ्या होने से अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट श्री महेन्द्र शर्मा द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया कि ग्राम आलनियावास के पुराने खसरा नम्बर 1264 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा भूमि रि.जा. दर्ज थी। इस भूमि पर किस्तूरराम पुत्र शिम्भू का रकबा 9 बीघा पर कब्जा था एवं इसी प्रकार पाबू पुत्र प्रताप का 08 बीघा भूमि पर एवं पाबू पुत्र धोकल का रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि कब्जा व कास्त होने से उन्हें दफा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं एवं इसी के तहत तहसीलदार,डेगाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 66 को स्वीकार किया हैं। इस नामान्तरकरण के अनुसार खातेदारों की आयी भूमि की कीमत खातेदारों द्वारा जमा करवायी गई हैं,जिसका इन्द्राज इस नामान्तरकरण में हैं। उक्त नामान्तरकरण में दर्ज भूमि के अनुसार तत्कालीन कास्तकार कास्त व काबिज रहे तथा उनके बाद उनके वारिसान इन खातेदारी अधिकारों के अनुसार अपनी भूमि पर कास्त व काबिज हैं। उपरोक्त नामान्तकरण में दर्ज भूमि अनुसार कास्त व काबिज का पूर्ण ज्ञान अपीलांट को भी रहा हैं क्योंकि अपीलांट का स्व0 किस्तूरराम के घर में ही पालन–पोषण हुआ एवं वही बड़ी हुई हैं। अपीलांट को इस नामान्तरकरण की एवं नामान्तरकरण से आयी भूमि की पूरी जानकारी होते हुवे भी उन्होंने बिना कोई आधार के इस नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की हैं,जो म्याद बाहर हैं। क्योंकि नामान्तकरण स्वीकृत किये हुवे 60 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका हैं तथा इस नामान्तरकरण की अपीलांट को शुरू से जानकारी होने से उनका द्वारा अपील में यह अंकन कर देना की उनको इस अपील की जानकारी दिनांक 04.01.2021 को हुई मानने योग्य नहीं हैं। प्रथम में तो उनको जानकारी प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उसी समय हो गई तथा उसके बाद अपीलांट के भाईयों व परिवार के सदस्यों द्वारा प्रकरण संख्या 49/2020 व 50/2020 बअनवान धनुड़ी बनाम सोहनराम व अन्य जब माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता में दिनांक 26.06.2020 पेश किया गया तब ओर जानकारी हो गयी थी। क्योंकि यह दावा अपीलांट की मिलीभगत से ही पेश किया गया था इसलिए प्रश्नगत नामान्तरकरण की विधिवत जानकारी अपीलांट को उसी दिन हो चुकी

कलक्टर नागौर

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

थी तथा दिनांक 26.06.2020 से जानकारी मानते हुवे भी अगर यह अपील उनके द्वारा एक माह की अवधि में न्यायालय में पूर्व विलम्ब के विधिवत कारणों के अंकित करते हुवे पेश करनी थी,जो पेश नहीं की गई हैं तथा जानबुझकर हमारे को परेशान करने की नियत से यह अपील म्याद बाहर पेश की हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार के बिलम्ब को छुट नहीं दी जा सकती हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने पुनः मयाद के बिन्दू पर बहस करते हुवे कथन किया कि अपीलांट एक अनपढ़ महिला होने से उन्हें कानून की बारिकीयों जानकारी नहीं हैं। इसलिए केवल मात्र मयाद के बिन्दू पर अपीलांट के हको को प्रभावित नहीं किया जा सकता हैं। दफा 19 आर.टी.एक्ट. के तहत खातेदारी अधिकार देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था,क्योंकि धारा 19 आर.टी.एक्ट. के तहत खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान केवल सहायक कलक्टर को ही हैं। इसलिए तहसीलदार,डेगाना का यह आदेश एवं नामान्तरकरण शुरू से ही अपीलांट के अधिकारों के विरूद्व प्रभाव शून्य हैं,इसलिए इस प्रकार प्रकरण में म्याद का बिन्दू कहीं रोडा नहीं बनता हैं। माननीय न्यायालय को देखना हैं कि क्या तहसीलदार,डेगाना द्वारा दिये गये धारा 19 के खातेदारी अधिकार विधिवत हैं अथवा नहीं? यह बिन्दू तय करने के लिए श्रीमान् को इस अपील को म्याद में शुमार करना है। हमारे द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का कारण हमने अपील में एवं प्रार्थना–पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अंकित किया हैं तथा अपने कथनों के समर्थन में तस्दीक सुदा शपथ–पत्र भी पेश किया गया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट को अन्दर म्याद में शुमार फरमाया जावें एवं मूल अपील का विधिवत निस्तारण किया जावें। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

(1) आरआरटी–2015 (1) पेज 506
(2) आरआरडी–1980 पेज351 एवं पेज 352
(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 19
(4) माननीय उच्चतम न्यायालय में C.A.No's.4575-76 of 1998@S.L.P.(c)No.8712-13 of 1998 में निर्णय दिनांक 03.09.1998 की प्रति।
(5) आरआरटी–2016(2) पेज 971
(6) आरआरटी–2020(1) पेज 575
(7) आरआरटी–2003(1) पेज 702
(8) आरआरडी–1994 पेज 606
(9) आरआरटी–2002(1) पेज 257
(10)आरआरटी–2002(1) पेज 260

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट श्री महेन्द्रशर्मा ने जबाब में यह तर्क दिया कि अपील नामान्तरकरण संख्या 66 पर पारित आदेश दिनांक 13.06.1962 के विरूद्व पेश की गई हैं,धारा 19 के आदेश के विरूद्व पेश नहीं की गई हैं,इसलिए श्रीमान् को यह देखना हैं कि प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद पेश की गई हैं या नहीं? अपील अपीलांट म्याद बाहर पेश की गई जो खारिज फरमायी जावें।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 01.02.2021 को नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम आलनियावास पर तहसीलदार, डेगाना के स्वीकृत आदेश दिनांक 13.06.1962 के विरूद्व पेश की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील में यह तथ्य प्रकट किये हैं कि उक्त नामान्तरकरण के तथ्यों की जानकारी उनको अभी हाल ही में दिनांक 04.01.2021 को हुई,जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपीलान्ट को एलानियां कहा कि उक्त खसरा

कलक्टर नागौर

नम्बर 1264 जो वर्तमान नये सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 1583 रकबा 1.50 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.30 है0,खसरा नम्बर 1582 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा करेगें तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से व वर्तमान तहसील रियांबड़ी से उक्त भूमि की सम्पूर्ण नकले निकलवायी,तब सर्व प्रथम जानकारी हुई। इसलिए अपील अपीलान्ट की जानकारी से अन्दर मयाद हैं। यही अभिकथनों अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम में दर्ज किये हैं एवं अपने कथनों एवं प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपना तस्दीक सुदा शपथ–पत्र दिनांक 01.02.2021 पेश किया हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने से पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी में दिनांक 26.06.2020 को प्रस्तुत किये वाद अनवान धनुड़ी बनाम सोहनराम वगैरा व अन्य का अवलोकन किया गया उक्त वाद के पैरा नम्बर 8 में यह अंकित किया गया हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का हित एक समान हैं तथा इस वाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में इस्तदुआ भी चाही गई हैं,जिससे यह स्पष्ट प्रकट हैं कि अपीलांट को नामान्तरकरण संख्या 66 की जानकारी दिनांक 26.06.2020 को हो चुकी थी। अपीलांट को दिनांक 26.06.2020 से एक माह की अवधि में यह अपील पेश करनी चाहिऐ थी,जो पेश नहीं की गई हैं तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 13.06.1962 से 26.06.2020 की समयाअवधि एवं दिनांक 26.06.2020 से दिनांक 04.01.2021 की विलम्ब अवधि का कोई पर्याप्त कारण अपील में एवं प्रार्थना–पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में व शपथ–पत्र में दर्ज नहीं किया हैं,इसलिए इस प्रकार के असाधारण विलम्ब की अवधि को माफ किये जाने के पर्याप्त कारणों का अभाव प्रस्तुत अपील में हैं।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। इन प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो को इस प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता हैं,क्योंकि अभी इस प्रकरण में यह बिन्दू तय किया जाना हैं कि अपील अपीलांट अन्दर म्याद पेश की गई है या नहीं ? अगर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती हैं तो फिर यह देखा जाना हैं कि प्रश्नगत आदेश विधिपूर्वक था या नहीं? अन्दर म्याद शुमार आदेश दिया गया वह विधिवत था या नही के सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरें उन्हीं मामलों मे मदद करती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाहर पेश की गई हैं तथा इस प्रकार का असाधारण विलम्ब अवधि माफ करने के पर्याप्त कारण प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)